विलोपित

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

R 4038-I-16

प्र0क0 /2016 निगरानी

श्रीमती शांती देवी पतनी कोमल सिंह यादव ग्राम खडैआ तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र.

.............आवेदक

श्री सुनील सिंह जादौन अभि.

द्वारा आज दि. 1-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-16

राजस्व मण्डल, म.प्र ग्वालियर

विरूद्ध

1. जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिह
2. सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह
3. रणजीत सिंह पुत्र जयेन्द्र सिंह निवासीगण खडैआ तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र.।

634 01.12.16

..........अनावेदकगण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के अपील क 613/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध ।

-2

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार –:

1. यहकि ,प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्रीमती शांति देवी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 107(5) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाकर यह उल्लेख किया कि ग्राम खडौआ में स्थिति भूमि सर्वे कमाक 690/2, 692/2 आवेदक के स्वत्व की आराजी है उपरोक्त वें नबंरो के बंदोवस्त पश्चात नवीन सर्वे नं0 974, सर्वे नम्बंर 975 निर्मित किये गये । बंदोवस्त के

(14)

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/4038/2016/ जिला-दतिया

श्रीमती शांतिदेवी विरूद्ध जयेन्द्र सिंह

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लाखन सिंह धाकड़ उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 613/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त उनके द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील में स्वयं अंतिम निर्णय पारित न कर प्रश्नाधीन आदेश में बिन्दु निर्धारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय हेतु वापिस किया गया है जबकि संहिता में निहित प्रावधानों के तहत अपील को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में संहिता की धारा 49 (3) में वर्णित प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। इसके साथ ही म0प्र0 भू0राजस्व संहिता की उक्त धारा में वर्णित नियमों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.11.2016 निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही बिन्दु उठाए गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गये थे जो प्रश्नाधीन आदेश में	

अंकित होने से उन्हें यहां इस आदेश में पुन: उल्लेखित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यही कहा गया कि प्रश्नाधीन आदेश सही व वैधानिक है जिसे स्थिर रखे जाने के अनुरोध के साथ निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए उन पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 का भी परिशीलन किया गया। विचारोपरांत पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 के अंतिम पैरा 9 में यह अंकित किया गया है कि "अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पो0 के द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र में अंकित सीमाओं के कृषकों को सुनवाई हेतु आहूत करते हुए एवं बंदोवस्त के पूर्व तथा पश्चात की सीमाओं/ रकवा से मिलान एवं परीक्षण करते हुए विधिसम्मत निर्णय लिया जावे"। अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के स्परूप का है। अपील प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के संबंध में संहिता की धारा 49(3) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा, या उसे उलट सकेगा, या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रतिपेषित नहीं करेगा:"

6- उपरोक्त वर्णित परिस्थतियों में अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता में वर्णित उक्त प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है

प्रकरण क्रमांक निग/4038/2016/ जिला-दतिया

श्रीमती शांतिदेवी विरूद्ध जयेन्द्र सिंह

कि वे प्रश्नाधीन आदेश के बिन्दु 9 में अंकित पहलुओं के संबंध में स्वयं परीक्षण कर संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि. हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य